(वाद संख्या–**2725/17**)

11.11.2019

परिवादी, लालबाबू प्रसाद, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी का कथन है कि सुगौली थाना के तत्कालीन दारोगा, मुकेश कुमार वर्मा को रिश्वत नहीं दिये जाने के कारण उसे मिथ्या केस में फंसा दिया गया है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक–27.11.2016 को प्रातः 07:00 बजे की घटना को लेकर उसकी पत्नी द्वारा 04 नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध, गाली–ग्लौज करते हुए, मार–पिट कर जख्मी करने व हत्या करने की धमकी देने के आधार पर भा0द0प्र0 की धाराओं, 341/323/324/307/504/506/34 के अन्तर्गत सुगौली थाना कांड सं0–293/16, दिनांक–18.12.2016 संस्थित किया गया। परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से उक्त मामले में लिखित आवेदन दिनांक–28.12.2016 को ही नगर थाना, मोतिहारी में दे दिया गया था जो नगर थाना, मोतिहारी द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर सुगौली थाना को अग्रसारित कर दिया गया। ज्योंही उसकी पत्नी द्वारा संस्थित सुगौली थाना कांड सं0–293/16, दिनांक–18.12.2016 की जानकारी उक्त कांड के अभियुक्तों को हुई, उक्त कांड के एक अभियुक्त, निशा देवी, द्वारा मनगढंत घटना के आधार पर दिनांक–27.11.2016 के प्रातः 07:00 बजे की घटना बताकर दिनांक–19.12.2016 को परिवादी के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 341/323/324/307/504/506/34 के अन्तर्गत सुगौली थाना कांड सं0–295/16, दिनांक–19.12.2016 संस्थित कर दिया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों कांडों को सत्य पाकर आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा उपरोक्त दोनों कांड वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त दोनों कांडों के न्यायालय में विचाराधीन रहने के आधार पर आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है। परिवादी यदि चाहें तो संबंधित न्यायालय में याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक